निदेशों तथा नियमन मैनुअल के प्रावधानों के आधार पर दामोदर घाटी निगम द्वारा मैथुन तथा पंचेट जलाशयों से पश्चिम बंगाल को सिंचाई हेतु जल निर्मुक्त किया जाता है।

901. [*Transferred to the 9th December*, 1991]

Flood havoc in Karnataka

902. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Memorandum submitted by the Government of Karnataka in respect of the flood havoc in the State and if so, Government's response thereto; and

(b) whether Government have received request from Government of Karnataka for the Central assistance and if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) The Government of Karnataka have sent a report in the Ministry of Agriculture indicating preliminary assessment of damages caused on account of heavy rainfall. The Government of Karnataka have requested release of Rs. 100 crores for relief works. On the recommendations of the IX Finance Commission, from 1-4-1990, a Calamity Relief Fund for financing the relief expenditure has been constituted for each State. 75 per cent of the allocation in respect of each State is contributed by Central Government and the balance by the State Government. The annual amount allocated in the Calamity Relief Fund for Karnataka is Rs. 27 crores.

राजस्थान के लिये लंबित जल संसाधन परियोजनाएं

903. **डा० अबरार अहमद :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लिए कितनी जल संसाधन परियोजनाएं कब कब से स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं ;

(ख) उनको स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की पिपलेट योजना के कार्य में हुई प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(घ) राजस्थान में इस समय ऐसी कौन-कौन सी जल संसाधन परियोजनायें हैं जो अभी तक अधूरी हैं और अब तक उनको पूरा न होने के क्या कारण हैं तथा उनकी प्रारम्भिक लागत क्या थी तथा वर्तमान लागत क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्र में मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई राजस्थान की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र-I में दिया गया है [**देखिये** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 20]

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई पिपलेट मध्यम लिफ्ट सिंचाई स्कीम की रिपोर्ट, जांच के पश्चात् राज्य सरकार को 3/89 में इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दी गई थी कि वह जल उपलब्धता, फसलों के लिए जल की आवश्यकता और लागत प्राक्कलनों का टिप्पणियों पर अनुपालना सहित संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(घ) राजस्थान में चालू वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना का ब्यौरा अनुपत्र-II में दिया गया है।

[**देखिये** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 21]

Breaching of Bhakra Dam by Militants

904. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the militants breached the Bhakra Main Canal